न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–11/2019

वादीनी — बनाम — प्रतिवादीगण

झीमों पुत्री पुराराम (पत्नि बींजाराम) जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी हाल निवासी सारणों का तला (होड़ू) तहसील सिणधरी

1. मगाराम वल्द दानाराम के कायम मुकाम
   1/1 चैनाराम वल्द मगाराम
   1/2 नारणाराम वल्द मगाराम
   1/3 पेमाराम वल्द मगाराम
   1/4 नोजीदेवी वल्द मगाराम
   1/5 चनणी पुत्री मगाराम
   1/6 पारू पुत्री मगाराम
2. रूपाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी
3. शाखा प्रबन्धक एसबीआई सिणधरी
4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–04.03.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति की सयुंक्त हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 224 व 278/224 कुल रकबा 76.11 बीघा ग्राम धने की ढाणीएवं खसरा संख्या 124 रकबा 47.19 बीघा ग्राम गोसांईनगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि वक्त बन्दोबस्त वादिनी के पितामह दानाराम के नाम दर्ज हुई थी। दानाराम के तीन पुत्र– वादिनी के पिता पूराराम, प्रतिवादी सं. 1 मगाराम व प्रतिवादी सं. 2 रूपाराम– थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/3 हि. वादिनी का, 1/3 हि. प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान का एवं 1/3 हि. प्रतिवादी सं. 2 का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर [illegible] करते आ रहे है। वादिनी के पिता पूराराम, दानाराम से पहले फौत हो चुके थे। प्रतिवादी [illegible] व 2 ने दानाराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण [illegible] करवा लिया, फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में [illegible] और वादिनी बावजूद [illegible] के खातेदारी से महरूम हो गयी। दानाराम वक्त मृत्यु जाति से जाट होने से हिंदु विधि से शासित होते थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारां 40 के अनुसार किसी मृत निर्वसीयती के हकों का उसके वारिसान के नाम अन्तरण उसी विधि से होगा, जिसके कवह मृत्यु के समय अध्यधीन था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची 8 के अनुसार

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

ना के पूर्व मृत पुत्र की इकलौती वारिस होने के नाते वादिनी वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारिणी है। अतः वादिनी ने वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा अपनी, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने 1/3 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1, जो फौत हो चुका हे, के वारिसान ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए माफिक इस्तदुआ वादिनी का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाब में वाद के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि दानाराम के केवल 2 पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2, पुत्री पनी एवं पत्नी अनू– ही वारिस थे। किंतु वादी ने पुत्री पनी का वाद में दाना के वारिस के रूप में उल्लेख नहीं का अदालत को अंधेंरे में रखा है। पूराराम नाम का दानाराम के कोई पुत्र नहीं थां। वादिनी फर्जी रूप से दानाराम की पोती स्वयं को बताकर वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहती है। अतः वादिनी का वाद गलत एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे।

वादिनी के वाद एवं प्रतिवादी सं. 2 के जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई। किंतु दिनांक 05.02.2025 को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जाने एवं इस कारण दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने से तनकीवार विवेचन का कोई औचित्य नहीं रहा।

वादी की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में मानाराम पी.डब्ल्यु–1, मोटाराम पी. डब्ल्यु–2 व स्वयं झीमों पी.डब्ल्यु–03 को परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धने की ढाणी की खसरा संख्या 124 की जमाबंदी EXP-1, इसी ग्राम की खसरा संख्या 224 व 278/224 EXP-2, ग्राम गोसाईनगर की जमाबंदी EXP-3, ग्राम धने की ढाणी के ना.क.सं. 687 की प्रति EXP-4, इसी ग्राम के ना.क.सं. 333 की प्रति EXP-5, ग्राम धने की ढाणी की सम्वत् 2013–16 की जमाबंदी EXP-6, इसी ग्राम की जमाबंदी सम्वत् 2052–55 की जमाबंदी EXP-7 वादिनी के ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र की प्रति–EXP-8 तथा वादिनी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति EXP-9 प्रस्तुत किये।

वादिनी वकील की बहस है कि वादिनी के दादा दानारम, जो वक्त बन्दोबस्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे, के तीन पुत्र वादिनी के पिता पूराराम, प्रतिवादी सं. 1 मगाराम एवं प्रतिवादी सं. 2 रूपाराम तथा पत्नी अनूदेवी–थी। पूराराम दानाराम से पहले फौत हो चुके थे और बाद में अनूदेवी भी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 224 व 278/224 में अपने हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम हकतर्क करके फौत हो गई थी। जबकि कानूनन अपने तीन पुत्रों के परिवार अस्तित्व में होने के बावजूद केवल 2 पुत्रों के नाम किया गया हकतर्क वादिनी के हकों की सीमा तक शून्य [illegible] है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में हिंदु उतराधिकार अधिनियम के [illegible] प्रथम [illegible] के वारिसान की हैसियत से वादिनी का वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर [illegible] हक है। अतः वादिनी स्वयं को वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करवाते हुए 1/3 हिस्सा अपनी खातेदारी में दर्ज करवनो की अधिकारिणी है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वाद के तथ्यों के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा घोषित किये जाने में अपनी अनापति व्यक्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रा एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। मौजा धने की ढाणी के नामान्तकरण सं. 333 EXP-4 एवं प्रथम खतौनी Exp-05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी दानाराम की खातेदारी की थी, जिनके फौत होने पर उक्त भूमि दानाराम के दो पुत्रों मगा व रूपा तथा पत्नी अनू के नाम दर्ज हुई। जबकि वादपत्र में अंकित वंशवृक्ष के अनुसार वादिनी का पिता पूराराम भी दानाराम का पुत्र था। हिंदु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची 8 के अनुसार वादिनी दाना के पूर्व मृत पुत्र पूराराम की इकलोती जाइन्दा वारिस होने से उसका भी वादग्रस्त भूमि में पुश्तैनी हक था। जहां तक अनू द्वारा खसरा संख्या 224 व 278/224 की भूमि में अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में हकतर्क करने का प्रश्न हे, ऐसा हकतर्क उसके दो पुत्रों के नाम किये जाने के बावजूद कानूनन उसके तीनों पुत्रों के पक्ष में किया गया माना जाएगा। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाब में वादिनी के पिता पूराराम का दानाराम का पुत्र होने से इन्कार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादिनी का हिस्सा नहीं होना उल्लेखित किया हे, किंतु बाद में राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादिनी का हिस्सा होना मानते हुए वादिनी एवं पूराराम दानाराम के वंशवृक्ष की सदस्य होने के तथ्य की पुष्टि की है। मौखिक साक्ष्य स्परूप वादिनी की ओर से प्रस्तुत गवाहान के शपथपत्रों से भी मुतवफी दानाराम के तीन पुत्र एवं पत्नी होने की पुष्टि होती है। यद्यपि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाब में दाना के पनी नाम की एक पुत्री होने का कथन किया है किंतु उन्होनें पनी का न तो कोई विवरण, पता आदि दिया है और न उक्त कथित पनी स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु वाद में उपस्थित हुई है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दानाराम की पत्नी अनू की मृत्यु के बाद दानाराम के शेष वारिसान पुराराम की पुत्री, प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान एवं प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक थौक का 1/3–1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 के प्रत्येक वारिस का 1/18–1/18 हिस्सा है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि में1/3 हिस्सा वादिनी की, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की तथा 1/18–1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/6 प्रत्येक की खातेंदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 224 रकबा 76–11 बीघा एवं खसरा संख्या 278/224 रकबा 0–05 बीघा तथा ग्राम गौसाईनगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 124 रकबा 47–19 बीघा भूमि में वादिनी को सहखातेदार घोषित करते हुए 1/3 हिस्सा वादिनी की, 1/3 प्रतिवादी सं. 2 की एवं 1/18–1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के वारिस प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादिनी के 1/3 हिस्से के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वाद ... में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तद्नुसार डिक्री मुर्त्ता जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूलवाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
झीमों पुत्री पुराराम (पत्नि बींजाराम) जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी हाल निवासी सारणों का तला (होडू) तहसील सिणधरी		1. मगाराम वल्द दानाराम के कायम मुकाम 1/1 चैनाराम वल्द मगाराम 1/2 नारणाराम वल्द मगाराम 1/3 पेमाराम वल्द मगाराम 1/4 नोजीदेवी वल्द मगाराम 1/5 चनणी पुत्री मगाराम 1/6 पारू पुत्री मगाराम 2. रूपाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी 3. शाखा प्रबन्धक एसबीआई सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:— 88,40.188, आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—11/2019
निर्णय दिनांक :— 04.03.2025

वादी की ओर से श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता , प्रतिविदी सं. 2 की और से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी 4 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.03.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:—** वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 224 रकबा 76—11 बीघा एवं खसरा संख्या 278/224 रकबा 0—05 बीघा तथा ग्राम गौसाईनगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 124 रकबा 47—19 बीघा भूमि में वादिनी को सहखातेदार घोषित करते हुए 1/3 हिस्सा वादिनी की, 1/3 प्रतिवादी सं. 2 ,की एवं 1/18—1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के वारिस प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादिनी के 1/3 हिस्से के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद के ख[illegible]

वादीनीगण	[illegible]	प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति [illegible] लिए स्टाम्प 2.[illegible] 3.[illegible]फीस 4.साक्षियों [illegible] लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	